रजिस्ट्रेशन पुन: सेट करना

रजिस्ट्रेशन पुन: सेट करने की सुविधा का उपयोग पैनधारक द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है :

1. पैनधारक अपना यूजर आईडी भूल गया है.
2. पैनधारक ने लगातार तीन बार गलत पासवर्ड डाला है और यूजर आईडी लॉक हो गया है.
3. पैनधारक अपना पासवर्ड भूल गया है और उसे अपना सुरक्षा प्रश्न और / या उत्तर याद नहीं है.

उपर्युक्त परिस्थितियों में पैनधारक अपने यूजर आईडी को सक्रिय करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकता है.

रजिस्ट्रेशन पुन: सेट करने की प्रक्रिया

- पैनधारक द्वारा 'रीसेट रजिस्ट्रेशन' स्क्रीन को एक्सेस करना और एक बार पुन: रजिस्टर करना होगा.
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद उसे अपना रजिस्ट्रेशन अनुरोध एक बार पुन: प्राधिकृत करना होगा (अर्थात् टिन - एफसी से अपनी पहचान का सत्यापन कराना होगा).

रजिस्ट्रेशन पुन: सेट करने के लिए शुल्क

क) जब पैनधारक टिन - एफसी में व्यक्तिगत रूप से जाता है तब टिन - एफसी पैन रजिस्ट्रेशन पुन: सेट करने हेतु अनुरोध के प्राधिकरण के लिए रु.17/- (रु.15 + सेवा कर) शुल्क लगायेगा.

ख) ऐसे मामलों में, जहां पैनधारक टिन - एफसी अधिकारी के अपने यहां आने के विकल्प का चयन करता है, टिन - एफसी पैन रजिस्ट्रेशन पुन: सेट करने हेतु अनुरोध के प्राधिकरण के लिए रु.112/- (रु.100 + सेवा कर) शुल्क लगायेगा.